शीर्ष प्राथमिकता
परिपत्र संख्या- 24 सामा-1(4)/2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
आदर्श/केन्द्रीय/जिला/उप कारागार, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 26 अगस्त, 2019

विषयः- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध माफिया प्रवृत्ति के कुख्यात एवं आतंकवादी गतिविधियों में निरूद्ध बन्दियों की मुलाकात के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारागारों में निरूद्ध बन्दियों से उनके परिजनों, मित्रों, सम्बन्धियों एवं विधिक परामर्शदाताओं/अधिवक्ताओं की मुलाकात के सम्बन्ध में व्यवस्था उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अध्याय 18 व 26 में दी गयी है। इसके अतिरिक्त बन्दियों की मुलाकात व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन एवं मुख्यालय स्तर से भी शासनादेश एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

माफिया प्रवृत्ति के कुख्यात एवं आतंकवादी गतिविधियों में निरूद्ध बन्दियों की मुलाकात के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश पुनः निर्गत किये जाते हैंः-

1. उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले बन्दियों के कारागार में प्रवेश के समय ही उनके परिजनों एवं निकट संबंधियों (अधिकतम-10) के नाम व पते की सूची लिखित रूप में प्राप्त कर ली जाये।
2. संबंधियों के नाम व पते की पुष्टि (सत्यापन) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से करा ली जाये।
3. पुलिस सत्यापन की प्रत्याशा में वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार बंदी के रक्त सम्बन्धियों की मुलाकात उनके पहचान पत्र आदि के परीक्षणोपरान्त अपने विवेक से करा सकते हैं।
4. मुलाकात के समय फोटो युक्त पहचान पत्र के मिलान के पश्चात ही उनके मुलाकातियों से मुलाकात की अनुमति दी जाये।
5. इस श्रेणी के बन्दियों की मुलाकात सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस के अन्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. इस श्रेणी के बन्दियों की मुलाकात स्थानीय अभिसूचना इकाई के कर्मी की उपस्थिति में अन्य बन्दियों से अलग निर्धारित स्थान पर करायी जाये।
7. इस श्रेणी के बन्दियों की मुलाकात के समय कारापाल अथवा उप कारापाल अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। आवश्यकता होने पर बन्दी की भाषा जानने वाले एक अधिकारी को भी साथ रखा जाये।
8. इस श्रेणी के बन्दियों की मुलाकात हेतु अलग से मुलाकात रजिस्टर बनाया जाये और उस रजिस्टर पर मुलाकातियों से उनका एक अतिरिक्त फोटो प्राप्त कर उसे चस्पा किया जाये।

कृपया:-2-

9. इस श्रेणी के बन्दियों से बार-बार मिलने आने वाले मुलाकातियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाये।
10. इस श्रेणी के बन्दियों से विधिक परामर्शदाताओं/अधिवक्ताओं की मुलाकात के समय वकालतनामे की प्रति अवश्य होनी चाहिये।
11. इस श्रेणी के बन्दियों द्वारा किये जाने वाले पत्राचार पर कड़ी नजर रखी जाये तथा इनके द्वारा प्राप्त तथा प्रेषित पत्रों की प्रतियां कारागार पर सुरक्षित रखी जायें। प्रेषण/वितरण से पूर्व इन पत्रों का परीक्षण इन्टेलिजेंस ब्यूरो/स्थानीय अभिसूचना इकाई से कराया जाये तथा इन पत्रों के उर्दू या अन्य भाषा में होने पर दुभाषिये की मदद ली जाये।
12. इस श्रेणी के बन्दियों व उनके मुलाकातियों की मुलाकात से पूर्व तथा मुलाकात के बाद सघन तलाशी कारापाल की उपस्थिति में करायी जाये।
13. इस श्रेणी के बन्दियों के मुलाकातियों के नाम व पते सहित सूची बनायी जाये और उसे गोपनीय ढंग से जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराया जाये।

कारागार स्तर पर पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई व्यक्ति फर्जी नाम, पते से किसी बन्दी से मुलाकात न कर पाये। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

22/8/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र पृ0संख्या-24 सामा-1(4)/2019 दिनांकः 26 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, कारागार, समस्त परिक्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश ।

26.8.19

(वी0के0 जैन)
अपर महानिरीक्षक(प्र0/वि0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।